कार्यालयः निदेशक, होम्योपैथी/सदस्य–सचिव, यू0पी0 आयुष यू0जी0 काउंसिलिंग बोर्ड–2024
नोडल सेन्टर–राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ।

संख्या–55/कैम्प कार्यालय यू0पी0आ0यू0जी0 का0–2024 दिनांक 07 नवम्बर, 2024

च्वाईस फिलिंग के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचनायें।

(A) महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. आलइण्डिया कोटा (15 प्रतिशत) से प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी, तृतीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही है।
2. AACCC द्वारा घोषित अनर्ह अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के निवासी न होने के कारण, नीट 2024 के न्यूनतम 50 परसेंटाईल अंको एवं एकेडमिक 50 प्रतिशत से कम होने के कारण तृतीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही है।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आनलाईन वैरिफिकेशन के समय रिजेक्ट किया गया हो, वे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही है।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी मनी) जमा न की हो, वे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नही है।

(B) च्वाईस फिलिंग के पूर्वः–

1. अभ्यर्थी द्वारा https://upayushcounseling.upsdc.gov.in वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध प्रक्रिया के Step-5 पर क्लिक कर पंजीकरण के समय बनाये गये पासवर्ड द्वारा लॉगइन कर च्वाईस फिलिंग की जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को च्वाईस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत **दिनांक 09.11.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे** तक ही करनी होगी।
3. जिस अभ्यर्थी ने रू0–20,000/– धरोहर धनराशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अर्ह हैं, उसे केवल राजकीय क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा।
4. जिस अभ्यर्थी ने रू0–50,000/– धरोहर धनराशि जमा की है तथा वह राज्य के अभ्यर्थी के रूप में अर्ह हैं, उसे राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा।
6. अन्य प्रदेश के अर्ह अभ्यर्थी जिन्होने रू0–50,000/– धरोहर धनराशि जमा की है, उन्हें निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालय चुनने का विकल्प प्रदर्शित होगा।

(C) च्वाईस फिलिंग के दौरानः–

1. अभ्यर्थी जिस श्रेणी/उप श्रेणी हेतु अर्ह होगा, उसे उस श्रेणी/उप श्रेणी हेतु उपलब्ध सभी सीटों के विकल्प स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। उदाहरण के लिये यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, दिव्यांग उप श्रेणी हेतु अर्ह हैं, उसे अनारक्षित ओपेन (UR-Op) अनुसूचित जाति दिव्यांग (SC-PwD) एवं अनुसूचित जाति ओपेन (SC-Op) के विकल्प दिखाई देंगे। इसी प्रकार यदि कोई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का हैं, तो उसे अनारक्षित ओपेन (UR-Op) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS-Op) ओपेन विकल्प प्रदर्शित होंगे।
2. उपलब्ध विकल्पों में से अभ्यर्थी को विधा (पाठ्यक्रम) एवं महाविद्यालय हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। उदाहरण के रूप में बी0ए0एम0एस0 विधा का विकल्प चुनने पर उपलब्ध आयुर्वेद

महाविद्यालय दिखाई देंगे, जिनमें से अभ्यर्थी को महाविद्यालय का विकल्प वरीयता क्रम में चुनना होगा एवं Save continue को क्लिक कर बी0यू0एम0एस0 अथवा बी0एच0एम0एस0 हेतु भी अपना विकल्प भरना चाहता है, तो वह बी0ए0एम0एस0 हेतू उल्लिखित उक्त प्रक्रिया अपनाकर अपने विकल्प भर सकता है। विकल्प भरने के पश्चात् Choice Lock क्लिक करने पर उसको उसके द्वारा भरे गये विकल्प दिखाई देंगे। यहॉ पर Agree/Non Agree विकल्प भी दिखाई देगा। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर Agree विकल्प को क्लिक करने पर पासवर्ड अंकित करने के लिये कहा जायेगा, पंजीकरण के समय अभ्यर्थी द्वारा बनाया गया पासवर्ड अंकित करते हुये च्वाईस फिलिंग को लॉक किया जायेगा। लॉक हो जाने के पश्चात् च्वाईस फिलिंग डेटा में कोई परिवर्तन सम्भव नहीं होगा। **अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि च्वाईस फिलिंग को लॉक करने से पूर्व उसे पुनः देखकर भरी गयी च्वाईस फिलिंग से वह पूर्णरूप से संतुष्ट होने के उपरान्त ही सबमिट करें। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक या एक से अधिक विधा में वरीयता क्रम दे सकता है।**

3. **अभ्यर्थियों को सलाह ही जाती है कि वे अपनी नीट काउंसिलिंग से सम्बन्धित गोपनीय विषयक यथा– अपना रोल नं0, रजिस्ट्रेशन नं0, पासवर्ड, अपनी जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नं0, ई0मेल तथा ओ0टी0पी0 किसी भी दशा में किसी को न दें।**
4. **पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नीट काउंसिलिंग की निष्पक्षता तथा छात्रहित में च्वाईस फिलिंग खोलते समय अभ्यर्थी अपने पासवर्ड को डालकर पोर्टल खोल सकेगा किन्तु च्वाईस फिलिंग के बाद उसके लॉक करने से पहले उसे अपने पासवर्ड के साथ अपना पंजीकृत मोबाइल नं0 पर इस हेतु प्राप्त ओ0टी0पी0 से ही सीट च्वाईस लॉक कर सकेगा अन्यथा नही।**
5. अभ्यर्थी जिस कालेज का विकल्प पहले चुनेगा वह वरीयता क्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित होगा तथा उसके बाद में चुने गये विकल्प क्रमशः प्रदर्शित होंगे। उदाहरण के रूप में अभ्यर्थी X-college सबसे पहले तथा उसके बाद Y-college फिर Z-college का विकल्प चुनता हैं तो X-college वरीयता के क्रम में प्रथम स्थान पर एवं Y-college एवं Z-college क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर प्रदर्शित होंगे।
6. अभ्यर्थी विकल्प चुनने के पश्चात् सबमिट करने से पहले अपने विकल्पों का क्रम बदलना चाहता है तो वह विकल्पों के सम्मुख Up and arrow के माध्यम से ऊपर अथवा नीचे परिवर्तित कर सकता है।

(D) च्वाईस फिलिंग के बादः–

1. यदि कोई अभ्यर्थी **Choice Lock** नहीं करता है, तो यह समझा जायेगा कि वह काउंसिलिंग प्रक्रिया में आगे भाग नहीं लेना चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी को कोई भी कालेज आवंटित नही किया जायेगा।

(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
निदेशक / सदस्य सचिव।